

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-अ०सां०नि०/स्था-12-06/2018 14

पटना, दिनांक-29.11.18

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०  
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।  
प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा,  
दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर  
(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज,  
मुजफ्फरपुर, पू०चम्पारण, प०चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी,  
समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका,  
सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना  
शीर्ष से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत पंचायत स्तरीय फसल कटनी  
के सम्पादन एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत  
रब्बी मौसम का बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8,32,53,425/- (आठ  
करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार चार सौ पच्चीस रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने पत्र संख्या-354  
दिनांक-28.03.2018 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष  
2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा  
28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-2084 दिनांक 10.10.2018 एवं तदसंबंधी शुद्धि पत्र संख्या 329 दिनांक 20.11.2018 के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी में अंकित विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध

